

समाहरणालय, बक्सर  
(आपदा शाखा)

पत्रांक .....१५...../आ०,

प्रेषक,

राघवेन्द्र सिंह,  
भा०प्र०से०,  
जिला पदाधिकारी,  
बक्सर

सेवा में,

अंचल अधिकारी,  
बक्सर, चौसा, राजपुर, इटाढ़ी, सिमरी, चौगाई, नावानगर एवं चक्की।  
बक्सर, दिनांक 10 / 09 / 2018

विषय :

CFMS द्वारा Demand No. 39-Disaster Management Department, Major Head-2245- Relief on account of Natural Calamities, Sub-Major Head- 02- Flood, Cyclone etc., Minor Head- 101 GRATUITOUS RELIEF, Sub Head- 0016-NA, Head of Account- 39-2245-02-101-0016-NA के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु कुल 84,00,000/- (चौरासी लाख) रूपये मात्र राशि का उपावंटन।

प्रसंग :

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-1265 दिनांक 07.06.2018.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के CFMS द्वारा Demand No. 39-Disaster Management Department, Major Head-2245- Relief on account of Natural Calamities, Sub-Major Head- 02- Flood, Cyclone etc., Minor Head- 101 GRATUITOUS RELIEF, Sub Head- 0016-NA, Head of Account- 39-2245-02-101-0016-NA के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु कुल 84,00,000/- (चौरासी लाख) रूपये मात्र को निम्न शर्तों के तहत निम्नांकित अंचलों को उपावंटित की जाती है :-

क्र०	अंचल का नाम	सड़क दुर्घटना से मृत	पानी में डुबने से मृत	योग
1	बक्सर	4,00,000.00	8,00,000.00	12,00,000.00
2	चौसा	-	12,00,000.00	12,00,000.00
3	राजपुर	12,00,000.00	8,00,000.00	20,00,000.00
4	इटाढ़ी	-	4,00,000.00	4,00,000.00
5	सिमरी	-	12,00,000.00	12,00,000.00
6	चौगाई	4,00,000.00	4,00,000.00	8,00,000.00
7	नावानगर	8,00,000.00	4,00,000.00	12,00,000.00
8	चक्की	-	4,00,000.00	4,00,000.00
योग:-		28,00,000.00	56,00,000.00	84,00,000.00

1. यह आवंटन सामुहिक सड़क दुर्घटना एवं पानी में डुबने से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को भुगतान हेतु निर्गत किया जा रहा है।
2. उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
3. आवंटित की गयी राशि की निकासी यथा संभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय बिहार पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजते हुए शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दी जाय।
4. उपावंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष तथा विपत्र कोड़ का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष / उप शीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561वि0(2) दिनांक- 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
6. यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तिय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन दिनांक- 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दे, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी। राशि की निकासी कर बैंक खाता में नहीं रखी जाय।

### Annexure-I

Head of Account : 39-2245-02-101-0016-NA  
Allottee/Sub Allottee Code : GEN3010008  
Allottee/Sub Allottee designation : DM, BUXAR

Allotment ID	Object Head	Allotted Amount
43235	37-01- Grace grant	84,00,000.00
	<b>Total:-</b>	<b>84,00,000.00</b>

विश्वासभाजन,

*R. Singh*  
20/03/18

जिला पदाधिकारी,  
बक्सर




ज्ञापांक .....१५/आ०, दिनांक .....१२/०९/२०१८..।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बक्सर / <sup>उपरीव</sup> / जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, बक्सर / आई०टी० मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

  
०९/०९/१८  
जिला पदाधिकारी,  
बक्सर